

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 685/2024

डूंगरसी मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024

आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर नाका लाका सिकराय उपवन संरक्षक, दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपवन संरक्षक, करौली किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.09.2023 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और मात्र 5 माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा जिला करौली स्थानान्तरित कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अल्पावधि में किये गये स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना है। अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वनपाल के पद पर नाका लाका सिकराय उपवन संरक्षक, दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपवन संरक्षक, करौली किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.09.2023 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और मात्र 5 माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा जिला करौली स्थानान्तरित कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को 5 माह की अल्पावधि में किये गये स्थानान्तरण का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है और प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)